

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 (1) लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18/510

दिनांक :- 24-08-17


समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जोन)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सेटेलाईट हॉस्पिटल/
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा।
विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मसी, जयपुर।
प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर, जोधपुर।
प्रधानाचार्य, 40क0 प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग जयपुर।
समस्त सहायक औषधी नियंत्रक।
समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी क्षय निवारण केन्द्र/के.एन.टी.बी.सी.
अजमेर।
समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
संयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
राजकीय विश्लेषक, जयपुर।
मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।

विषय:- वर्ष 2017-18 के लिए राज्य निधि के विभिन्न बजट मदों में 03-यात्रा व्यय एवं
04-चिकित्सा व्यय में लम्बित दायित्वों की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2017-18 के लिये विभिन्न बजट मदों के
अंतर्गत विस्तृत मद 03-यात्रा व्यय एवं 04-चिकित्सा व्यय में दिनांक 01.04.2017 का देय पुर्नभरण
योग्य राशि के लम्बित रहे दायित्वों की सूचना दिनांक 24.04.2017 तक चाही जाकर दिनांक 01.05.
2017 को संबंधित कार्यालयों को बजट आवंटन किया जा चुका है।

प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपके अधीनस्थ चिकित्सा
संस्थानों/कार्यालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों के दिनांक
23.08.2017 विभिन्न बजट मदों के अन्तर्गत विस्तृत मद 03-यात्रा व्यय एवं 04-चिकित्सा व्यय में
लम्बित रहे दायित्वों की नामवार, कार्यालयवार एवं लेखामदवार पृथक-पृथक सूचना दिनांक
25.08.2017 तक आवश्यक रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आइडी-famh-rj@nic.in पर
भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।


(ज०प०सि०जागिंड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए-4 (1) लेखा/ प्रतिबद्ध/2017-18/510 दिनांक : 24-08-17

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी सर्वर, कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें तथा संबंधित की
ईमेल आइडी पर भी ईमेल करावें।


(ज०प०सि०जागिंड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।